

गर्मी में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित हो, अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई करें : जलदाय मंत्री

कोटा, (निसं)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने गुरुवार को सकतपुरा स्थित 130 एमएलडी प्लांट सभागार में आयोजित बैठक में कोटा–बूंदी क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार हर घर को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए अधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य करें।

जलदाय मंत्री ने आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही, अवैध जल कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि कोटा क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लांट और पंप हाउस की स्थापना में ऐसी मशीनरी का उपयोग किया जाए जो लागत में किफायती और



भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने सकतपुरा स्थित 13० एमएलडी प्लांट सभागार में बैठक ली।

खरख़ाब में आसान हो। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के दौरान तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सप्ताह में एक बार जलापूर्ति कार्यों की समीक्षा करें।

उन्होंने यूआईडीपी या अन्य विभागों द्वारा किए जाने वाले खुदाई कार्यों से जलापूर्ति पाइपलाईन को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की और इसके लिए संबंधित अधिकारियों की

जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

जलदाय मंत्री ने कोटा में अमृत 2.0 के कार्यों की टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोटा क्षेत्र के किनारे बसे कोटा में पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और यदि जनता को पानी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है तो यह गंभीर विषय है। उन्होंने कहा जल जीवन मिशन के जो अधूरे कार्य हैं उनको तेज गति से कर जनता को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट

धार्मिक अनुष्ठान 10 से होगें शुरु

छबड़ा। क्षेत्र के पंकर कॉलोनी (चांचोड़ा) में 11 कुण्डीय रूद्र महायज्ञ एवं पिव पंच परिवार प्राण-प्रतिष्ठा 10 अप्रैल से शुरू होगी। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहां 10 अप्रैल को श्रीगणेश पूजन, विमान आगमन, देव पूजन, मण्डप प्रवेश, अग्नि स्थापना होगी। मही इसी दिन जल यात्रा सुबह दस बजे पंकर झरी से पंकर कॉलोनी तक निकाली जाएगी। 11 अप्रैल को सर्वदेव पूजन, हवन, जलाधिवاس, 12 अप्रैल को सर्वदेव पूजन, हवन, पत्रादि पुष्पाधिवاس, फलादिवास, 13 अप्रैल को सर्वदेव पूजन, हवन, धृताधिवاس, पंकराधिवस एवं अनाधिवस तथा 14 अप्रैल को सर्वदेव पूजन, महाभिशेक, हवन, वस्त्राधिवस, प्राण-प्रतिष्ठा, पाणिप्रणय संस्कार, अचल प्रतिष्ठा, पूर्णाहूति एवं प्रसादी वितरण को गांधी धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न होगें।

किया कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता सहन नहीं की जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि कोटा में 140 एमएलडी के एक नए प्लांट की योजना बनाई गई है। उन्होंने जल के संरक्षण पर विशेष बल देते हुए कहा कि हर बूंद को अमृत समझकर बचाना होगा जलदाय मंत्री ने बूंदी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जलापूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक गांव और ढाणी का दौरा कर जलापूर्ति की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने ठेकेदारों के कार्यों की गुणवत्ता की गहन जांच करने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे बंद कमरों में बैटकर एस्ट्रीमट न बनाएं, बल्कि मौके पर जाकर सर्वे करें और वास्तविक स्थिति के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि अपनी जल समस्या को लेकर अधिकारियों से संपर्क करता है तो उसे उचित और स्पष्ट जवाब दिया जाए कि समस्या कब तक हल

शक्ति व दीपा ने 24 आवर स्टेडियम रन में फहराया कोटा का परचम

कोटा, (निसं)। कोटा के दो साहसी धावकों ने बेंगलुरु में आयोजित 24 आवर स्टेडियम रन प्रतियोगिता में अपनी असाधारण दृढ़ता और साहस का परिचय देते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 30-31 मार्च, 2025 को आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न हिस्सों से 51 शीर्ष धावकों ने हिस्सा लिया, जिनमें 41 पुरुष और 10 महिला धावक शामिल थे। बेंगलुरु की तपती धूप, जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, उच्च आर्द्रता और लगातार 24 घंटे लगातार दौड़ने की चुनौती के बावजूद, इन धावकों ने मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रतियोगिता को पूरा किया

मलेरिया क्रेश कार्यक्रम में 9089 घरों का सर्वे किया

कोटा, (निसं)। कामयाब कोटा बनाना है, डेंगू को हराना है अभियान एवं मलेरिया क्रेश कार्यक्रम के तहत गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के 692 टीमों ने जिले में 9०89 घरों का सर्वे किया। टीमों ने लार्वरिशी गतिविधियां कर आमजन को जागरूक किया। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि जिले में मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं स्कrub टाइफाइड आदि की रोकथाम के लिए टीमों ने 146४3 कंटेनरों जिनमें टंकी, कुलर, पंरिण्डे आदि जनर की जांच की, इस दौरान लार्वा मिले 1०७ कंटेनरों को उपचारित किया, 772 कंटेनरों को खाली कराया, 687 कंटेनरों में टेमीफोस व 494 स्थानों पर एमएलओ डाला, 1० कमरों में पायेरथ्रम का स्प्रे किया, इस दौरान 1५4 ब्लड स्लाईड भी ली गई। आमजन को बचाव-रोकथाम संबंधी जागरूकता के पम्फलेट वितरित किए व पोस्टर व स्टीकर चस्पा किए।

वनवास की लीला का मंचन

मांगरोल। नगर में चल रही है ऐतिहासिक ढाई कड़ी की रामलीला में चौथे दिन राजा दशरथ केकई संवाद की लीला के साथ भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास एवं भरत को अयोध्या की गद्दी पर राजतिलक करो और रामलीला में राम लक्ष्मण बाल रूप में चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास चंद्रन गिसे तिलक करें रघुवीर झांकी तुलसीदास भगवान श्री राम की झांकी की आरती का मुख्य अतिथि रामलीला समिति द्वारा उनका स्वागत किया गया

सभी देवताओं ने मां सरस्वती से जाकर कहा कि भगवान श्री राम का राजतिलक हो गया तो रावण कैसे मरेगा इसलिए आप ऐसा कार्य करें भगवान का राज तिलक नहीं हो और रावण भी मोरे मां सरस्वती ने सभी देवताओ को आशीर्वाद दिया कि आपकी इच्छा पूरी होगी और अपने दो वचन राजा दशरथ से मांगने के लिए केकई अपने आभूषण उतार कर को भगवन में चली गई, जब राजा को पता चला की रानी नाराज है उसे मनाने के लिए कोय भवन में गए ,रानी ने राजा दशरथ से कहा की मुझे दो वचन दीजिए जो आपने रण में दिए जो आज मांगना है, राजा ने कहा मांगो भगवान श्री राम के अयोध्या की गद्दी राजतिलक कर का हो ,यह वचन सुनकर राजा दशरथ को बहुत धक्का लगा और जनता में अच को तरह यह फैलने से अहंकार मच गया ।राम व लक्ष्मण सीता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष के लिए वन में चले गए रामलीलाओं का दर्शकों ने देखकर बहुत आनंद लिया।

होगी।

बैठक में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जलदाय मंत्री कन्हैया लाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मांग पर कोटा में जलापूर्ति के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है और कोटा के छूटे हुए क्षेत्रों को नई डीपीआर में शामिल किया गया। बैठक में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में कोटा उत्तर के अलावा अन्य क्षेत्रों के विकास को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कोटा के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि विभागों या अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जलापूर्ति योजनाओं का लाभ प्रत्येक कोटावासी को मिले। बैठक में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व विधायक अशोक डोगरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सहायक कलक्टर हुकम केंवर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता देवकीनंदन व्यास, अधीक्षक अभियंता भारत भूषण मिंगलानी एवं अन्य अभियंता उपस्थित रहे।

हटाया अतिक्रमण

मांगरोल (नि सं) मांगरोल नगर पालिका क्षेत्र में गुरुवार को उपखंड अधिकारी अंजना शेरवाल के नेतृत्व में पालिका प्रशासन ने अवैध कॉलोनीयो पर बुलडोजर चला कर कॉलोनी का अतिक्रमण हटाए, यह अवैध कॉलोनी नगर में काटी जा रही है ,नहीं कराया कन्वर्जन लाखों का चुनाव सरकार को लगाया जा रहा है जिसको लेकर जिला कलेक्टर बार्रों के दो महीने पहले जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि मांगरोल क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है इनकी कोई फाईल जमा नहीं हो पा रहा है ना कन्वर्जन जमा किया गया ,इसलिए इन अवैध कॉलोनी पर स्थानिय प्रशासन ने कार्रवाई कर रोकथाम की जाए जबकि नगर में अवैध कॉलोनियां बारां रोड गोरा जी देवस्थान जमीन के पास शीसवाली रोड, इटावा रोड छात्रावास के पास बमारी रोड रामगढ़ रोड के पास यह भी कालोनी काटी जा रही है जमीन को खरीद कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं सरकार को लगा रहे लाखों का 3 अप्रैल गुरुवार को अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारियों सहित पालिका क्षेत्र में काटी गई है अवैध कॉलोनी छाड़ श्याम कॉलोनी, सीसवाली रोड, बजरग नगर कॉलोनी सीसवाली रोड, श्री नंद विहार बारा रोड मांगरोल को अवैध प्लानिंगध्वस्त की गई।

रक्तदान शिविर 7 अप्रैल को

बूंदी। अभिभावक परिषद, सकल जैन समाज, जे सी आई ऊर्जा, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 7 अप्रैल को प्रातः 1०:3० बजे से अभिभावक परिषद कक्ष मे रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा बतौर मुख्य अतिथि करेंगे तथा अध्यक्षता जिला एंव सेशन न्यायाधीश अजय शुक्ला की होगी। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मौणा, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मौना रंदेशे अभिभावक परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि रक्तदान

शिविर में सहयोग हेतु अधिवक्ता संजय शर्मा, कलिका केहार को प्रभारी नियुक्त किया गया है।

आम सूचना
सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारण श्रीमती उषा देवी पहिले स्व. श्री मोहनलाल पुरीय, महेश. नरेश शिराराम स्व. श्री मोहनलाल गिरासीयण -173- बी. तलवर्षी, कोटा (राज.) के स्वामित्व एवं कबजे का एक मकान गली नं.-6, एम.डी. मिशन कॉलेज के पास, बालाकुण्ड, कोटा में स्थित है मेरे पक्षकारण को जानकारी हुई है कि उक्त मकान को कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचान करने को आगवा है जबकि मेरे पक्षकारण द्वारा उक्त मकान को न्यायालय किया अधिकरण, कोटा के जजिष व डिक्री दिनांक 05.09.2019 के अनुसार नं.नांनक 1३.1.2021 को किरियेदार से प्राप्त कच्चा प्रमाण किता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पक्षकारण के अलावा प्राप्त किसी से उक्त मकान के संबंध में किसी प्रकार का बेचान का सीता व इस्कर करता है तो वह निष्पत्ती होगा तथा उससे होने वाली बर्ति के लिए वह बस जिम्मेदार होगा।
महोदय।
सोमेश गुप्ता बरबोडकर, मी. 9829294158
मुहर

कार्यालय नगर पालिका, रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

दिनांक : 03.04.2025

क्रमांक : न.पा.रा./2025/224

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका द्वारा स्वीकृत योजना में नामान्तरण हेतु नगर पालिका कार्यालय में आवेदन पर प्रस्तुत किया है नामान्तरण हेतु किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के सात दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयान्तरित गुरनेर के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता	राजस्व ग्राम मय खसत नं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गफुट	उपवान	चतुर्सीमा की स्थिति
1.	श्री भारत शर्मा पुत्र श्री शिवरत्न जाति ब्राह्मण निवासी- रामगंजमण्डी	गौरमुनपुरा 22/2	44	1846 वर्गफुट	नामान्तरण हेतु	पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्लाट नं. 45 प्लिन नं. 43 रास्ता कृषि भूमि

अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, रामगंजमण्डी

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान		
क्रमांक:-ननिको/जो-ग्रन्थ/भा.नि.अनु./2०2५/212	स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति	दिनांक: ३.4.2५
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बन्धू पुत्र स्व. श्री अब्दुल सलाम निवासी-संजय बस्ती किशोपुरा कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवंटन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-संजय बस्ती किशोपुरा कोटा (राज.), क्षेत्रफल-3०6 वर्गफुट का रजिस्ट्री करने हेतु आवंटन प्रस्तुत किया है। कार्यालय नगर निगम कोटा के पत्रांक ननिको/नियमन-आवंटन/1999-2000/1869 दिनांक 03.०1.2०01 से नियमन-आवंटन/अधिकार पत्र-अहस्तारणपीय श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री जुम्मा खाँ एवं श्रीमती सुबैद बेगम पत्नी श्री अब्दुल सलाम को किया गया। श्री अब्दुल सलाम पुत्र श्री जुम्मा खाँ की मृत्यु दिनांक 07.०1.2०24 को हो चुकी है एवं श्रीमती सुबैद बेगम पत्नी श्री अब्दुल सलाम की मृत्यु दिनांक 03.०3.2०2५ से हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके एकमात्र विधिक वारिसान श्री बन्धू पुत्र स्व. श्री अब्दुल सलाम हैं। श्री बन्धू पुत्र स्व. श्री अब्दुल सलाम के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही की जाती है।		
आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवंटन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण को कार्यवाही का जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोटे आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत कर। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।		
उपयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण		

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

23

आवास संख्या 5/106 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री किशोरी लाल विजय को किया गया था। इस आवस का पंजीवन श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री किशोरी लाल विजय द्वारा दिनांक 24.04.2014 को अपने पत्र में करवाया गया। पंजीवन उपरांत श्री गोपाल लाल विजय पुत्र श्री किशोरी लाल विजय द्वारा उक्त आवास का बेचान जारी विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 01.05.2014 को श्रीमती नीतम त्यागी पत्नी श्री अश्विनी त्यागी को किया गया। श्रीमती नीतम त्यागी पत्नी श्री विकास त्यागी का नाम दिनांक 01.03.2016 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती नीतम त्यागी पत्नी श्री विकास त्यागी द्वारा उक्त आवास का बेचान जारी विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 16.03.2016 को श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री विनय कुमार मिश्रल एवं श्री विनय कुमार मिश्रल पुत्र श्री बदीलाल को संयुक्त रूप से किया गया। श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री विनय कुमार मिश्रल एवं श्री विनय कुमार मिश्रल पुत्र श्री बदीलाल का नाम दिनांक 27.09.2016 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री विनय कुमार मिश्रल एवं श्री विनय कुमार मिश्रल पुत्र श्री बदीलाल द्वारा उक्त आवास का बेचान जारी विक्रय पत्र अलेखित कर दिनांक 05.02.2025 को श्री कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री सीरष शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा को संयुक्त रूप से किया गया। श्री कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री सीरष शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 5/106 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री सीरष शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह माना जाये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा एवं श्री सीरष शर्मा पुत्र श्री कृष्ण मुरारी शर्मा का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने में किसी भी व्यक्ति/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 41 योजना बस्तं विहार स्थेल को नामहस्तांतरण की मूल्य कृतता पर श्री मूलचन्द पुत्र स्व.श्री तुलसीदास द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 41 बस्तं विहार स्थेलत अपने नाम हस्तांतरण की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रम/2०2५	दिनांक
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना	
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना बस्तं विहार स्थेलत भूखण्ड संख्या 41 का नामहस्तांतरण क्रमांक 6६9-71 दिनांक 1५.12.2०17 को तुलसीराम पुत्र श्री देवमल्ल को नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवमल्ल की मृत्यु दिनांक १9.०1.2०19 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवमल्ल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, पण्य पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती नन्द कंवर चतुर्वेदी पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 41 बस्तं विहार स्थेलत अपने नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।	
अतः जारीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण को स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 171 योजना बस्तं विहार केसपुर-9 का नामहस्तांतरण श्रीमती नन्द कंवर चतुर्वेदी पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी को नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।	
उपयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा	

क्रमांक-एफ11/विक्रम/2०2५/1431	दिनांक : ०3.०4.2५
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना	
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना बस्तं विहार केसपुर-9 खण्ड संख्या 171 का नामहस्तांतरण क्रमांक 7५०-51 दिनांक 0५.०7.2०1० को श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी पुत्र श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी एवं श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी की मृत्यु दिनांक 11.०4.2०14 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवमल्ल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, पण्य पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती नन्द कंवर चतुर्वेदी पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 171 बस्तं विहार केसपुर-9 अपने नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।	
अतः जारीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण को स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 171 योजना बस्तं विहार केसपुर-9 का नामहस्तांतरण श्रीमती नन्द कंवर चतुर्वेदी पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी को नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।	
उपयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा	

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रम/2०2५	दिनांक
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना	
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना बस्तं विहार केसपुर-9 खण्ड संख्या 171 का नामहस्तांतरण क्रमांक 750-51 दिनांक 0५.०7.2०10 को श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी पुत्र श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी एवं श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री दयाकृष्ण चतुर्वेदी की मृत्यु दिनांक 1१.०4.2०14 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री तुलसीराम पुत्र श्री देवमल्ल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, पण्य पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती नन्द कंवर चतुर्वेदी पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 171 बस्तं विहार केसपुर-9 अपने नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।	
अतः जारीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण को स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 2०7 योजना विवेकानन्द नगर का नामहस्तांतरण श्री मोहन कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती नन्द कंवर पत्नी श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी को नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।	
उपयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा	

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रम/2०2५/142०	दिनांक : ३.4.2५
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना	
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना बस्तं विहार केसपुर-9 आवास संख्या 86 का नामहस्तांतरण क्रमांक 4३५ दिनांक 1६.1०.2०18 को श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोपाल लाल के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री चन्द्र प्रकाश की मृत्यु दिनांक 27.०4.2०22 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री गोपाल लाल के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिजिली डंड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर श्रीमती रेखा बाई पत्नी स्व. श्री चन्द्र प्रकाश एवं नाबालिग पुत्र रिजिक केसट पुत्र स्व. श्री चन्द्र प्रकाश, पुनीत केसट पुत्र स्व. श्री चन्द्र प्रकाश एवं नाबालिग पुत्र रिजिक केसट पुत्र स्व. श्री चन्द्र प्रकाश, पुनीत केसट पुत्र स्व. श्री चन्द्र प्रकाश व विवाला केसट पुत्र स्व. श्री चन्द्र प्रकाश जयिरेवली संरक्षक माता श्रीमती रेखा बाई पत्नी स्व. श्री चन्द्र प्रकाश के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।	
अतः जारीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 86 श्रीराकृष्णपुरम-ई अपने नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।	
उपयुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा	

‘बून्दी के विकास के लिए हो बून्दी विकास न्यास की स्थापना’

- बून्दी** विधायक हरिमोहन शर्मा ने बताया कि गत कांग्रेस शासन में बून्दी जिले के 64 गांवों को केडीए में शामिल करने का विरोध भी विधानसभा में किया

- तथा कहा कि यदि बून्दी जिले के गांवों को केडीए में मिलाना ही है तो बून्दी को भी शामिल कर केडीए का नाम बदलकर केबीडीए किया जाए

- विधायक ने नवजीवन संघ कॉलोनी एवं रजत गृह कॉलोनी को वन विभाग के दायरे से मुक्त करने की मांग की

करने के बजाय उन्हें रोककर बून्दी का विकास अवरुद्ध किया है। उन्होंने नियमासुरण सभापति का चुनाव करवाने की मांग भी की।

विधायक ने नवजीवन संघ कॉलोनी एवं रजत गृह कॉलोनी को वन विभाग के दायरे से मुक्त करने की मांग की है। उन्होंने बून्दी में बस स्टैंड के स्थान पर मिनी सचिवालय बनाने और बून्दी विकास न्यास की स्थापना करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उन्होंने बून्दी जिले की समस्याओं के साथ राजस्थान में बलात्कार प्रकरण, समरावता गाइबर क्राइम, जेल से अपराधियों का सफाई प्रकरण, परीक्षा में छात्रों की जनेऊ उतारे जाने आदि मुद्दे भी प्रमुखता से उठाये।

भाजपा सभापति पर साधा

कांग्रेस ब्लॉक बूंदी व ब्लॉक तालेड़ा की बैठक आज

बून्दी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बूंदी की संगठनात्मक बैठक आज दिनांक 4 अप्रैल 2०25 को 11:०0 बजे शिवम मैरिज गार्डन नैनवा रोड बूंदी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तालेड़ा की बैठक साय ३:०० बजे कैलाश रेस्टोरेंट, बाईपास रोड तालेड़ा में में आयोजित की जाएगी। जिसमें हरिमोहन शर्मा विधायक, बूंदी प्रहलाद गुंजल पूर्व विधायक व लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस कोटा बूंदी, सीएल प्रेमी, जिला अध्यक्ष बूंदी व विधायक के पाटन तथा विधानसभा प्रभारी आशीष शर्मा भाग लेंगे जिसमें जिला कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस मंडल इकाई बूध अध्यक्ष युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस सेवादल राजीव गांधी पंचायत राज सहित सभी कांग्रेस पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।

‘समस्याओं के समाधान में रखें संवेदनशीलता’

झालावाड़। जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और विभिन्न मुद्दों पर अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

जिला कलक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारी संवेदनशीलता से निस्तारण करें तथा सुनिश्चित करें कि ग्रामीणों का संतुष्टि स्तर बेहदरीन हो। प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति गंभीर है। इसलिए ग्रामीणों की समस्याओं को संवेदनशीलता देखें और अति आवश्यकता वाले कार्यों को यथाशीघ्र निस्तारित करें।

जिला कलक्टर ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं और आपूर्ति की नियमित निगरानी की जाए। जनसुनवाई में कुसुम योजना के ए और सी घटकों की जानकारी दी गई और संबंधित किसानों को इसका लाभ दिलाने पर चर्चा की गई।